न्यायालय – प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जिला भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष – श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव)

सक्सेशन प्रकरण क्रमांक – 20/2024
संस्थित दिनांक – 26.11.2024
फाईलिंग एम.जे.सी. सक्सेशन 744/2024

1. आशादेवी राठौर पत्नि स्व. श्री सुदेश सिंह राठौर उम्र 32 वर्ष
2. अनिकेत पुत्र स्व. श्री सुदेश सिंह राठौर उम्र 8 वर्ष
नाबालिग सरपरस्त मॉ आशादेवी पत्नि स्व. श्री सुदेश सिंह राठौर
निवासी– वार्ड क्रमांक 35 ,17वीं बटालियन गेट नंबर 6
इटावा रोड़ भिण्ड तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.) ------ **आवेदकगण**

विरूद्व

1. दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पता– डिवीजनल आफिस श्री कृष्णा प्लाट 100 फीट रोड़
शोभागपुरा उदयपुर (राजस्थान)
2. सर्वसाधारण
3. रामादेवी पत्नि श्री जवाहर लाल राठौर
निवासी– लुधियात मोहल्ला इकदिल (उ.प्र.) ------- **अनावेदकगण**

आवेदकगण द्वारा	–	श्री प्रवीण पाण्डे अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा	–	श्री संतोष डंगरौलिया अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा	–	श्री महावीर सिह कुशवाह अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक 2	–	पूर्व से एकपक्षीय।

–आदेश–

(आज दिनांक 10.08.2026 को पारित)

1. इस आदेश द्वारा आवेदक के आवेदन अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम दिनांक 10.08.2026 का निराकरण किया जा रहा है।

2. प्रकरण में स्वीकृत है कि अनावेदक क्रमांक 1 दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सुदेश कुमार राठौर के नाम से बीमा पॉलिसी क्रमांक

242596/31/2024/टी.एम.सी/30236 दिनांक 30.09.2023 से दिनांक 29.09.2024 तक की अवधि के लिए जारी की गयी थी।

3. आवेदक का आवेदन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदकगण के पति/पिता सुदेश कुमार राठौर के नाम से द ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पॉलिसी क्रमांक 242596/31/2024/टी.एम.सी/30236 दिनांक 30.09.2023 को अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा जारी की गयी थी। सुदेश कुमार का मोटर दुर्घटना में दिनांक 05.01.2024 को निधन हो गया है। आवेदकगण उसके वैध जीवित उत्तराधिकारी होकर बीमा राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। बीमा कंपनी ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की है। अतः उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने का निवेदन किया है।

4. अनावेदक क्रमांक 1 ने स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त अपने जबाव में कहा है कि बीमा पॉलिसी में मृतक ने कोई नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं कराया था। आवेदकगण पर सुदेश कुमार राठौर की मृत्यु साबित करने का भार है। उसके बाद ही अनावेदक क्रमांक 1 बीमा कंपनी बीमा राशि का भुगतान कर सकती है। बीमा पॉलिसी 15,00,000/–रूपये के लिए है। उस पर कोई ब्याज देय नहीं है। बीमा पॉलिसी में नॉमिनी नियुक्त न होने के कारण ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की गयी है।

5. अनावेदक क्रमांक 3 ने अपने जबाव में कहा है कि आवेदकगण मृतक सुदेश कुमार राठौर के वारिस नहीं है। उसके वारिस मृतक की माता रमादेवी एवं पिता जवाहरलाल ही वैध वारिसान हैं जो मृतक की बीमा पॉलिसी में 1/4–1/4 के हिस्सेदार हैं। आवेदिका आशा राठौर होशियार किस्म की महिला है, उसने जानबूझकर मृतक के माता–पिता को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। प्रकरण की जानकारी होने पर उन्होंने न्यायालय में आवेदन पेश किया है। आवेदकगण ने सत्र न्यायालय में मोटर दुर्घटना दावा भी प्रस्तुत किया था, जिसमें मृतक के माता–पिता को मिस गाइड करके उनका नाम विलोपित करवा दिया गया था, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में में एम.ए. 1435/2026 लंबित है। मोटर क्लेम प्रकरण के लंबित रहने तक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का प्रकरण

प्रचलन योग्य नहीं है। अतः आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया है।

6. प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 2 समाचार पत्र में प्रकाशन उपरांत अनुपस्थित रहा है और प्रकरण में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

7. <u>आवेदन के निराकरण के लिए विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं :–</u>

अ. क्या सुदेश की मृत्यु दिनांक 05.01.2024 को जिला भिण्ड में हो गयी है ?

ब. क्या आवेदकगण, मृतक सुदेश कुमार राठौर के उत्तराधिकारी होने के आधार पर सुदेश कुमार राठौर के नाम से द ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पॉलिसी क्रमांक 242596/31/2024/टी.एम.सी/30236 दिनांक 30.09.2023 की राशि प्राप्त करने के संबध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पाने की पात्र है ?

स. सहायता एवं वाद व्यय ?

//निष्कर्ष के आधार//

<u>विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 का निष्कर्ष–</u>

8. आवेदिका आशादेवी (आ.सा.1) ने कथन किया है कि मृतक सुदेश उसका पति था। सुदेश की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गयी थी। जिसके सबंध में थाना देहात में 29/2024 दर्ज हुआ था। आवेदिका ने अपने समर्थन में थाना देहात का अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी 2, पी.एम. रिपोर्ट प्रदर्श पी 4, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 6, सुदेश का आधार कार्ड प्रदर्श पी 8 प्रस्तुत किया है।

9. आवेदिका द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 6 से दर्शित है कि सुदेश कुमार राठौर की मृत्यु दिनांक 05.01.2024 को भिण्ड मे ंहो चुकी है। अनावेदिका रामादेवी (अना.सा.1) ने भी उसके पुत्र की दिनांक 05.01.2024 को दुर्घटना में मृत्यु होने का समर्थन किया है। अतः यह साबित है कि सुदेश की दिनांक 05.01.2024 को मृत्यु हो चुकी है।

<u>विचारणीय बिन्दु क्रमांक 2 का निष्कर्ष</u>

10. आवेदिका आशादेवी (आ.सा.1) ने कथन किया है कि उसके पति सुदेश के नाम से ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में दिनांक 30.09.

2023 को बीमा पॉलिसी ली गयी थी। उक्त बीमा में उसके पति ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया था। बीमा की प्रति प्रदर्श पी 5 है। जिससे दर्शित है कि मृतक सुदेश का ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी में दिनांक 30.09.2023 से दिनांक 29.09.2024 तक बीमा था। जिसमें नॉमिनी के कॉलम में नॉमिनी के नाम में एनएमएनएम लेख है। उम्र 30 वर्ष और रिलेशनशिप स्पाउस लेख है। लेकिन नॉमिनी के नाम में किसी भी व्यक्ति का स्पष्ट उल्लेख न होने से यह स्पष्ट नहीं है कि मृतक के द्वारा किसी को नॉमिनी बनाया था या नहीं।

11. आवेदिका आशादेवी (आ.सा.1) ने कथन किया है कि आवेदक अनिकेत उसका पुत्र है। उसका व उसके पुत्र के अलावा मृतक सुदेश का अन्य कोई वैध वारिस न होने से कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं है। आवेदिका ने अपने समर्थन में स्वयं का श्रमिक कार्ड प्रदर्श पी 7, आधार कार्ड प्रदर्श पी 9, अनिकेत का आधार कार्ड प्रदर्श पी 10., समग्र आई.डी की प्रति प्रदर्श पी11 प्रस्तुत की है।

12. अनावेदिका रमादेवी (अना.सा.1) ने कथन किया है कि वह मृतक सुदेश की मॉ एवं जवाहरलाल सुदेश के पिता होने के कारण उसके वैध वारिसान है। सुदेश की पहली पत्नि का नाम पूजा था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। वह आवेदिका आशा को नहीं जानती है। साक्षी ने अपने समर्थन में अपना आधार कार्ड प्रदर्श डी 1 एवं जवाहरलाल का आधार कार्ड प्रदर्श डी 2 पेश किया है।

13. आवेदिका आशादेवी (आ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह स्वीकार किया है कि मृतक सुदेश की मॉ का नाम रमा देवी एवं पिता का नाम जवाहरलाल है, जो वर्तमान में जीवित होकर ग्राम इकदिल इटावा में निवास करते हैं। यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा रमादेवी व जवाहरलाल को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। आवेदिका के कथन से यह स्पष्ट है कि मृतक सुदेश के माता–पिता वर्तमान में जीवित हैं।

14. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार मृतक की संपत्ति का व्ययन उसके स्वयं की विधि के अनुसार होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार आवेदिका आशादेवी व अनिकेत एवं अनावेदिका क्रमांक 3 रमादेवी मृतक सुदेश के वर्ग–1 के वारिसान होने के कारण मृतक के उत्तराधिकारी हैं। जवाहरलाल मृतक का पिता है, जो वर्ग–2 की श्रेणी में आता है। वर्ग–1 के वारिसान जीवित होने के कारण जवाहरलाल मृतक की संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का पात्र नहीं है।

15. मृतक सुदेश की द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पॉलिसी है, जिसमें अनावेदक क्रमांक 1 ने 15,00,000/–रूपये जमा होना कहा है। आवेदिका आशादेवी और अनिकेत, मृतक की मॉ रमादेवी के साथ मृतक के उत्तराधिकारी है, इसलिए वह तीनों मृतक की बीमा राशि 1/3–1/3–1/3 भाग प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

16. उक्त समस्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आवेदक आशादेवी, अनिकेत और अनावेदक क्रमांक 3 रमादेवी मृतक सुदेश कुमार राठौर के उत्तराधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में आवेदकगण और अनावेदक क्रमांक 3 रमादेवी मृतक सुदेश कुमार के उत्तराधिकारी होने के आधार पर सुदेश कुमार राठौर के नाम से द ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पॉलिसी क्रमांक 242596/31/2024/टी.एम.सी/30236 दिनांक 30.09.2023 की 15,00,000/–रूपये की राशि समान रूप से प्राप्त करने के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पाने के पात्र है। चूकि आवेदक क्रमांक 2 अनिकेत नाबालिक उसकी मॉ की सरपरस्ती में होने के कारण उसका हिस्सा भी उसकी मॉ आवेदक को दिया जाना उचित है। तद्नुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 2 आवेदिका आशादेवी व अनावेदक क्रमाक 3 रमादेवी के पक्ष में निराकृत किया जाता है।

<u>विचारणीय बिन्दु क्रमांक 3 का निष्कर्ष–</u>

17. अतएव उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में आवेदकगण का आवेदन स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि आवेदिका क्रमांक 1 आशादेवी व अनावेदक क्रमांक 3 रमादेवी की ओर से उन्हें प्राप्त होने वाली

राशि पर विधिवत् नियमानुसार न्यायालय शुल्क प्रस्तुत करने पर सुदेश कुमार राठौर के नाम से दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की पॉलिसी क्रमांक 242596/31/2024/टी.एम.सी/30236 दिनांक 30.09.2023 से मिलने वाली 15,00,000/–रूपये में से क्रमशः 2/3 एवं 1/3 अर्थात् आवेदक आशादेवी को 10,00,000/–रूपये एवं अनावेदक क्रमांक 3 रमादेवी को 5,00,000/–रूपये की राशि दिये जाने के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जाये।

18. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण का व्यय स्वयं आवेदकगण एवं अनावेदक स्वयं वहन करेंगे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

(श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला भिण्ड (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

(श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला भिण्ड (म.प्र.)

NIDHI NEELESH SHRIVASTAVA

Digitally signed by NIDHI NEELESH SHRIVASTAVA
Date: 2026.08.10 16:33:36 +0530